भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-29-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला दमोह की तहसील दमोह की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 06, 07, 14 से 17, 28 से 33 एवं 70 से 72 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील दमोह के पटवारी हल्का क्र. 06, 07, 14 से 17, 28 से 33 एवं 70 से 72 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील दमयन्ती नगर (दमोह नगर) का सृजन करती है, जिसमें कुल 15 पटवारी हल्के होंगे और 35 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय दमोह में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-29-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-29-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-29-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Damoh of District Damoh from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 06, 07, 14 to 17, 28 to 33 and 70 to 72 and creates a new Tehsil Damyanti Nagar (Damoh Nagar) by comprising of Patwari Halka No.06, 07, 14 to 17, 28 to 33 and 70 to 72 of Tehsil Damoh, in which the total Patwari Halkas shall be 15 and villages Shall be 35. The headquarter of the said Tehsil shall be at Damoh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-30-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला खण्डवा की तहसील खण्डवा की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 79 से 83 एवं 95 को को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील खण्डवा के पटवारी हल्का क्र. 79 से 83 एवं 95 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील खण्डवा नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 06 पटवारी हल्के होंगे और 11 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय खण्डवा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हरि रंजन राव,** प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-30-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-30-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-30-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Khandwa of District Khandwa from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No.79 to 83 and 95 and creates a new Tehsil Khandwa Nagar by comprising of Patwari Halka No.79 to 83 and 95 of Tehsil Khandwa, in which the total Patwari Halkas shall be 06 and villages Shall be 11. The headquarter of the said Tehsil shall be at Khandwa.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, HARI RANJAN RAO, Principal Secy.